उत्तर प्रदेश शासन

राज्य योजना आयोग-1

संख्या 2/2015/1/6(1)/35-आ0-1/2015-07

लखनउ दिनांक: 06 अप्रैल,2015

<u>कार्यालय - ज्ञाप</u>

उत्तर प्रदेश विशाल जनसंख्या एवं क्षेत्रफल वाला प्रदेश है । प्रदेश की 20 करोड़ से अधिक आबादी को प्रदेश सरकार से बहुत- सी अपेक्षायें हैं। इन जन आकाक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तीव्रगति से विकास कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में कतिपय क्षेत्र यथा-अनियोजित भू-जल दोहन, गंगा- यमुना दोआब क्षेत्र में, जल प्रदूषण, चिकित्सकों की कमी तथा बेहतर डायग्नोसिस सुविधाओं की आवश्यकता, पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता तथा उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा के साथ संयोजन, ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सुधार हेतु अध्ययन दल बनाकर अल्प अवधि में ऐसी सुविचारित नीति/ कार्य योजना तैयार की जा सकती है जिससे इन प्रकरणों का समाधान हो सके और प्रदेश वासियों को उनका लाभ प्राप्त हो सके।

अत: सम्यक विचारोपरान्त उक्तानुसार चिन्हित 05 प्रकरणों में गहनता से अध्ययन कराकर अलग-अलग सुविचारित नीति/ कार्य योजना तैयार करने हेतु निम्नानुसार अध्ययन समूह गठित किये जाते हैं:-

1- अनियोजित भू-जल दोहन

प्रदेश के 830 विकास खण्डों में से 630 विकास खण्डों में गिरते हुए जल स्तर एवं अनेकों क्षेत्रों के डार्क जोन की श्रेणी में आ जाने की स्थिति का अध्ययन किये जाने हेतु निम्नवत अध्ययन समूह गठित किया जाता है:-

1- मा0 उपाध्यक्ष , राज्य योजना आयोग	- अध्यक्ष
2- श्री देवेन्द्रमणि द्विवेदी, सदस्यराज्य योजना आयोग	- सदस्य
3- प्रमुख सचिव नियोजन	- सदस्य
4- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल	- सदस्य
5- प्रमुख सचिव , सिंचाई	- सदस्य
6- प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन	- सदस्य
7- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	- सदस्य
8- प्रमुख सचिव, आवास	- सदस्य
9- निदेशक , भू-गर्भ जल	- सदस्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

2- गंगा - यमुना दो आब के विभिन्न स्रोतों में जल प्रदूषण नियंत्रण

गंगा- यमुना दोआब में पेयजल स्रोतों में प्रदूषण की समस्या, औद्योगिक इकाईयों के कारण आर्सेनिक नाइट्रेट की समस्या, औद्योगिक संकुलों के आस-पास के गॉव-कस्बों में प्रदूषण जनित रोगों की समस्या तथा कृष्णा, हिन्डन, काली आदि नदियों में प्रदूषण की समस्या का अध्ययन और उनके समाधान के उपाय प्रस्तुत करने हेतु निम्नवत अध्ययन समूह गठित किया जाता है:-

1- मा0 उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग	- अध्यक्ष
2- श्री देवेन्द्रमणि द्विवेदी ,सदस्यराज्य योजना आयोग	- सदस्य
3- श्री सुधीर कुमार पंवार, सदस्यराज्य योजना आयोग	- सदस्य
4- प्रमुख सचिव, नियोजन	- सदस्य
5- प्रमुख सचिव, पर्यावरण	- सदस्य
6- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास	- सदस्य
7- प्रमुख सचिव, नगर विकास	- सदस्य
8- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	- सदस्य
9- सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	- सदस्य सचिव

3-स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियाँ

विकास खण्ड स्तर पर 24 घण्टे स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के सरकार के लक्ष्य के दृष्टिगत चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न समस्या के समाधान तथा डायग्नोसिस सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग हेतु एक मॉडल विकसित करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निम्नवत् अध्ययन समूह गठित किया जाता है:-

1- मा0 उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग	- अध्यक्ष
2- श्री सुधीर कुमार पंवार, सदस्य राज्य योजना आयोग	- सदस्य
3- प्रमुख सचिव, नियोजन	- सदस्य
4- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य	- सदस्य
5- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	- सदस्य
6- निदेशक राष्ट्रीयस्वास्थ्य मिशन	- सदस्य सचिव

4- ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक उत्थान

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक उन्नति के लिए पशुपालन एवं डेरी के क्षेत्र में सफल मॉडल 'कामधेनु' जैसे अन्य मॉडल तथा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों के लिए संभावनाओं का पता लगाने, पशु पालकों को विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कराने तथा पशुओं के सवास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु निम्नवत अध्ययन समूह गठित किया जाता है:-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- मा0 उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग	-	अध्यक्ष
2- श्री निहाल अजमत चौधरी, सदस्य राज्य योजना आयोग	-	सदस्य
3- प्रमुख सचिव, नियोजन	-	सदस्य
4- प्रमुख सचिव, पशुपालन	-	सदस्य
5- प्रमुख सचिव, दुग्ध	-	सदस्य
6- निदेशक, पशुपालन	-	सदस्य सचिव

5- उच्च शिक्षा क्षेत्र में कौशल, तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा के साथ संयोजन

प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' संचालित है, परन्तु अभियान से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, अत: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के कौशल विकास मिशन, तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा के साथ बेहतर संयोजन की आवश्यकता है। इस प्रकरण में अध्ययन एवं नीति का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु निम्नानुसार अध्ययन समूह गठित किया जाता है:-

1- मा0 उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग	-	अध्यक्ष
2- श्री सुधीर कुमार पंवार, सदस्य राज्य योजना आयोग	-	सदस्य
3- प्रमुख सचिव, नियोजन	-	सदस्य
4- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा	-	सदस्य
5– प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा	-	सदस्य
6- सचिव, व्यवसायिक शिक्षा	-	सदस्य
7- परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	-	सदस्य
8- निदेशक, उ0प्र0 स्किल डेवलपमेन्ट मिशन	-	सदस्य सचिव

गठित अध्ययन समूहों द्वारा समूहों से संबंधित प्रकरण पर समयबद्ध अध्ययन पूर्ण करते हुए 03 माह के अन्दर अध्ययन रिपोर्ट/ कार्य योजना तैयार कर शासन को उपलब्ध करायी जायगी। अध्ययन समूह द्वारा अपनी अध्ययन रिपोर्ट में सर्वप्रथम निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया जायेगा:-

बिन्दु-1 अध्ययन की विषय- वस्तु की पृष्ठभूमि तथा वर्तमान स्टेटस के सम्बन्ध में प्रतिवेदन।

बिन्दु-2 भारत सरकार के स्तर पर क्षेत्र में संचालित योजनायें तथा उनमें प्रदेश को प्राप्त सहायता एवं उपलब्धियों का विवरण ।

बिन्दु-3 अन्य राज्यों में इस क्षेत्र में संचालित उल्लेखनीय योजनायें, जिनमें अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं ।

प्रत्येक अध्ययन समूह में सदस्य/ सचिव नोडल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। अध्ययन समूह के प्रतिवेदन, कार्यवृत्त तथा प्रस्तुतीकरण तैयार कराने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियोजन विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा अध्ययन समूह के अध्यक्ष / मा0 उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्ययन समूह की बैठकों की सूचना निर्गत की जायेगी तथा अध्ययन समूह की बैठकें योजना भवन में आयोजित करायी जायेंगी ।

अध्ययन समूह में अध्ययन कार्य में सहयोग हेतु किसी विशेषज्ञ या विशेषज्ञ संस्था की सहायता लेना आवश्यक हो तो संबंधित सदस्य सचिव द्वारा मा0 उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग की पूर्वानुमति से ऐसा किया जा सकेगा।

यदि अध्ययन समूह द्वारा आवश्यक समझा जाय तो मा0 उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग की पूर्वानुमति से शासन के किसी अन्य सम्बन्धित विभाग या शासन के अधीन किसी अन्य निकाय / संगठन से सम्बन्धित अधिकारी को अध्ययन समूह से सम्बद्ध किया जा सकता है।

अध्ययन समूह में अध्यक्ष तथा राज्य योजना आयोग के सदस्य के यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान राज्य योजना आयोग में प्रचलित शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार राज्य योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा। स्थानीय अध्ययन आदि के लिए आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों के भ्रमण कार्यक्रम से संबंधित यात्रा भत्ता का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार किया जायेगा ।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या -2/2015/1/6(1)/35- आ0-1/2015-07 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग ।
2-प्रमुख सचिव / सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी।
3-समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उ0प्र0 शासन ।
4-सदस्य योजना आयोग ।
5-सदस्य अध्ययन समूह ।
6-सदस्य सचिव अध्ययन समूह ।
7-विशेष सचिव / सेक्टर अधिकारी नियोजन विभाग।
8-वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन ।
9-नियोजन लेखा अनुभाग ।
10-राज्य योजना अयोग-2 ।
11-राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारीगण ।
12-अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in